# म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग
शिवाजी नगर, भोपाल – 462011

Phone : 0755 - 2553546
Fax No. : 0755 - 2552106
Web Site : www.mpsos.nic.in
E-Mail :mpsos@rediffmail.com


क्रमांक/एस.ओ.एस./संचा./2013/155 भोपाल, दिनांक 17/10/2013

## //आदेश//

श्री जितेन्द्र सिंह पवार पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह पवार, अनुक्रमांक–2010930120 निवास पता – ग्राम–किशोरगढ़, जिला–मुरैना (म.प्र.) ने अपना आवेदन दिनांक 28/07/2012 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि, प्रार्थी राज्य ओपन स्कूल बोर्ड से माह दिसम्बर 2009 में कक्षा 12वी की परीक्षा केन्द्र शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. पहाड़गढ़ जिला मुरैना म.प्र. से दिया एवं परीक्षा उत्तीर्ण किया उसके आवेदन में उसकी जन्मतिथि दिनांक 14.09.1986 के स्थान पर दिनांक 14.09.1990 भर दी गई है, जबकि उसके कक्षा 8वी एवं 10वी के प्रमाण पत्रों में वास्तविक जन्मतिथि 14.09.1986 अंकित है। आवेदक उक्त आधार पर अपना जन्मतिथि 14.09.1986 अंकित करने का निवेदन किया है। आवेदन के पक्ष में अपना शपथ पत्र दिनांक 13.07.2012 भी प्रस्तुत किया है।

आवेदक के मूल परीक्षा फार्म (आवेदन) का अवलोकन किया गया। आवेदक अपना परीक्षा आवेदन कक्षा 12वी का मेनुअल फार्म क्रं. 46316 जिसकी अंतिम तिथि 20.02.2009 थी स्वंय के हस्तलिखित तथा स्वंय के हस्ताक्षर से भरा गया है, जिसमे आवेदक अपनी जन्मतिथि 14.09.1990 अंकित किया है। आवेदन के साथ प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. पहाड़गढ़ जिला मुरैना द्वारा प्रमाणित आवेदक की मा. शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची क्रं. 057614 की छाया प्रति संलग्न की गई है जिस पर शब्दों में Fourteenth September ninteen Hunderd ninty अंकित है। शब्दो में अंकित जन्मतिथि पर ninty शब्द पर Over Writining किया जाकर अंकसूची में छेड़छाड़ एवं कूटरचना किया जाना प्रतीत होता है। आवेदन के साथ अंकसूची की छायाप्रति के अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।

प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के तहत आवेदक को दिनांक 24.01.2013 को सुनवाई के लिए आहुत किया गया। आवेदक उपस्थित होकर कथन किया कि:–

(01) आवेदन फार्म उसी के द्वारा भरा गया परन्तु हस्ताक्षर उसके नही है, उसके द्वारा फार्म भरने का मात्र दस्तावेज दिया गया था। पुनः कथन किया कि वास्तविक रुप से फार्म उसी ने भरा था फार्म पर हस्ताक्षर भी उसी के है परंतु उसने जो अंक सूची की छाया प्रति प्रस्तुत किया उसमें किसने छेड़छाड़ किया उसे ज्ञात नही, उसकी मूल अंकसूची जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल राजस्थान से जारी की गई है उसमें जन्मतिथि 14.09.1986 है यही सही है। (आवेदक अपने कथन में उक्त आधार पर अंकसूची में जन्मतिथि संशोधित करने का निवेदन किया है।)

(02) प्रकरण में माध्यमिक शिक्षा मण्डल राजस्थान से श्री जितेन्द्र सिंह पवार को जारी माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची क्रं. 057614 की प्रस्तुत छायाप्रति जो कि

समन्वयक प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. पहाड़गढ़ जिला मुरैना द्वारा प्रमाणित है तत्समय पदस्थ/कार्यरत समन्वयक प्राचार्य श्री आर.के. शर्मा को इस सम्बन्ध में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 24.07.2013 को आहुत किया गया। प्राचार्य श्री शर्मा ने समक्ष में निम्नानुसार कथन किये।

(I) कथन किया कि छात्र श्री जितेन्द्र सिंह पवार का आवेदन फार्म 2009 के साथ संलग्न अंकसूची की छाया प्रति का उनके द्वारा अवलोकन किया गया अंकसूची सत्यापन कर फार्म अग्रेषित करने के लिए हस्ताक्षर उन्ही के द्वारा किया गया है।

(II) आवेदन फार्म अग्रेषण एवं सत्यापन के समय उन्होने आवेदक पर विश्वास कर मूल अंकसूची बिना देखे ही सत्यापन कर दिया, क्योकि उनके द्वारा पहली बार यह कार्य किया जा रहा था इसलिए चूक हो गई।

(III) आवेदक अपने आवेदन फार्म पर स्वंय जन्मतिथि 14.09.1990 कर हस्ताक्षर किया है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से जारी माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची जो फार्म के साथ छायाप्रति संलग्न किया है उस पर छात्र द्वारा स्वंय कूटरचना (छेड़छाड़) कर अंकसूची पर वर्ष 2002 की जगह 2005 एवं जन्मतिथि 14.09.1986 की जगह दिनांक 14.09.1990 बनाया है जिसे विश्वास पर बिना मूल अंकसूची देखे ही उसके अग्रेषण करने की चूक हो गई।

पुनः कथन किया कि उनके द्वारा प्राचार्य के रुप में छात्र पर विश्वास एवं अन्जाने में यह चूक हुई इसके लिए क्षमा याचना की गई।

(03) आवेदक श्री जितेन्द्र सिह पवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उत्तीर्ण माध्यमिक परीक्षा 2002 की अंकसूची कमांक 057614 जो कि बोर्ड राजस्थान से दिनांक 01 जून 2002 को जारी हुआ है उसे मूलतः प्रस्तुत करने के के लिए इस कार्यालय के पत्र कमांक एस.ओ.एस/प्रवेश/2013/360 दिनांक 01.08.2013 एवं कार्यालय के पत्र कमांक एस.ओ.एस/प्रवेश/2013/425 दिनांक 19.09.2013 को भेजा गया जो कि प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक द्वारा स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि आवेदन फार्म उसी के द्वारा भरा गया है तथा इसके साथ संलग्न अभिलेख अंकसूची उसी ने प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदन पर गलत जन्मतिथि 14.09.1990 उसी के द्वारा अंकित किया गया है इसके पक्ष समर्थन में अपनी अंकसूची की छायाप्रति पर छेड़छाड़ या कूटरचिना कर जन्मतिथि का वर्ष 1990 तथा उत्तीर्ण होने का वर्ष 2002 की जगह 2005 अंकित किया जोकि पूर्णतः गलत एवं अस्वीकार्य है।

इसके साथ ही साथ आवेदन सत्यापित कर्ता प्राचार्य ने भी स्वीकार्य करते हुए यह कहा है कि अन्जाने में एवं विश्वास पर मूल अंकसूची नही देखते हुए आवेदन अग्रेषित किया आवेदन पर अंकित जन्मतिथि तथा अंकसूची की छाया प्रति पर कांट–छांट आवेदक द्वारा ही किया गया।

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल शिक्षा परिषद (म.प्र. राज्य ओपन स्कूल) की विवरणिका की कण्डिका 21 में उल्लेख है कि सभी योजना अंतर्गत प्रवेशित छात्रों की मूल अंकसूची का सत्यापन कराया जाएगा अंकसूची फर्जी एवं कूटरचित पाए जाने पर

प्रवेश अमान्य कर आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

म.प्र. शिक्षा संहिता के नियम 60 में यह उल्लेख है कि किसी भी छात्र का निष्कासन के पूर्व उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए।

प्रकरण के परीक्षण पश्चात् यह स्पष्ट हुआ कि आवेदक नियमों की अवहेलना करते हुए अपने लाभ हेतु आवेदन फार्म में गलत जानकारी प्रस्तुत किया जबकि आवेदन फार्म में स्वंय घोषणा भी किया है कि गलत एवं भ्रांति पूर्ण जानकारी करने की स्थिति में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को उसकी उम्मीदवारी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अतः उक्त प्रकरण के आधार पर तथा परीक्षण में सिद्ध दोष के आधार पर तथा नियमों एवं तथ्यों के आधार पर ही जितेन्द्र सिंह पवार के आवेदन को अमान्य करते हुए म.प्र. राज्य ओपन स्कूल से जारी कक्षा 12वी की क्रमांक 364021 वर्ष 2009 की अंकसूची जब्त करते हुए तत्काल निरस्त किया जाता है एवं यह भी निर्णय लिया जाता है कि जितेन्द्र सिंह पवार द्वारा इस अंकसूची को किसी भी रुप में कहीं भी उपयोग नही किया जाएगा, साथ ही यह भी निर्णय किया जाता है कि अध्ययन केन्द्र प्राचार्य द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह पवार के विरुद्ध 15 दिवस के भीतर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

संचालक
म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा
परिषद, भोपाल

O/C

पृ.क्रं./एस.ओ.एस./संचा./2013/156 भोपाल, दिनांक 17/10/2013

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष) मुरैना को सूचनार्थ एवं संचालक आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय संयुक्त संचालक ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. सचिव, मा. शिक्षा मण्डल राजस्थान को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
5. अध्ययन केन्द्र प्राचार्य श्री..............................को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक संचालक परीक्षा म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को सूचनार्थ।
7. सहायक संचालक प्रवेश म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को सूचनार्थ।
8. सम्बधित श्री जितेन्द्र सिंह पवार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा
परिषद, भोपाल